(25)

10 Rs. COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालयः— मान. राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रक. /2009—10 निगरानी — 1811-I/09

करन सिंह पुत्र बद्री प्रसाद निवासी ग्राम टोड़ा तह. पोहरी जिला शिवपुरी म0प्र0

—— आवेदक

बनाम

1. मनोज कुमार पुत्र श्री बद्री प्रसाद निवासी ग्राम भदेरा हाल निवासी बड़ा बाजार परकुई मोहल्ला पुरानी शिवपुरी म.प्र.
2. म.प्र. शासन

—— अनावेदकगण

श्री लखनसिंह धाकड़ एडवोकेट द्वारा आज दि. 31-12-09 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
4.50 P.M

31.12.09
(Lakhan singh Ad.)

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रक. 455/08—09/अपील में पारित आदेश दिनांक 14—12—09 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :—

1. यह कि, आवेदक (करन सिंह) के हित में म.प्र. शासन द्वारा विधिवत् प्र.कं. 64/अ—19/83—84 के द्वारा पट्टा दि. 19—09—84 सर्वे कं. 248 रकवा 4 बीघा 2 बिस्वा के संबंध में प्रदान किया गया था बन्दोवस्त के बाद में सर्वे कं. 248 के नये नम्बर 546 व 547 कायम किये गये हैं उक्त भूमि पर आवेदक पट्टा जारी होने के दिनांक से आज दिनांक तक काबिज हो कर खेती करता चला आ रहा है।

31.12.09

2. यह कि, आवेदक के हित में पट्टा होने के बाद सर्वे नं. 2487 रकवा 4 बीघा 2 बिस्सा के संबंध में बृजमोहन पुत्र गुलाब चन्द्र किरार निवासी ग्राम टोड़ा ने नायब तहसीलदार बैराड़ के समक्ष एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 115 एव 116 म.प्र. भू—राजस्व संहिता का पेश किया था। जिस पर से प्र.कं. 01/अ—6/88—89 पंजीबद्ध किया जाकर दि. 15—02—90 को आदेश पारित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1811–एक/2009 जिला –शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21 –12–2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0पी0 धाकड़ उपस्थित। अनावेदक के अधिवक्ता श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित । 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्र0क्र0 455/08–09/अपील में पारित आदेश दिनांक 14.12.2009 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप्त में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि विवादित भूमि का भूमिस्वामी एवं अधिपत्यधारी है। जिसकी सिविल न्यायालय के निर्णय व डिग्री से स्पष्ट हो जाती है। प्रतिवादी मनोज कुमार द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा होना बताया है एवं उसे कब्जा 1974–75 में शासकीय है। वर्ष 975–76 में सर्वे क्र0 300 पुराना था। जिस पर किसी को कोई अतिक्रमण नहीं था। जिस सर्वे क्रमांक पर बन्दोबस्त बाद नया नम्बर 248 निर्मित हुआ एवं पुनः बन्दोबस्त में 248 के नये नम्बर 546 एवं 547 निर्मित किये गये, उस भूमि के भूमि स्वामी आवेदक है। भूमिस्वामी को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना विवादित आदेश पारित किया है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया कि सिविल वाद में निर्णय पारित किये गये है। तत्पश्चात	

विवादित प्रकरण में पारित इन सभी पहलूओं पर विचार किया गया है। फिर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.09 किस आधार पर आवेदक को सुन बिना विवादित प्रकरण में आवेदन स्वीकार करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश को पढ़ने मात्र से यह प्रमाणित होता है कि उक्त आदेश अवैध रूप से एकपक्षीय सुनवाई करते हुये आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश पारित करने में प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया । आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व हितबद्ध पक्षकार को भी सुना जाना आवश्यक होता है। जबकि वर्तमान प्रकरण में आवेदक के हित में जारी किये गये पट्टे के आधार पर राजस्व अभिलेख में की गई प्रविष्टि को फर्जी मानने व पट्टे पर दी गई भूमि को शासकीय घोषित करने से पूर्व आवेदक को हितबद्ध पक्षकार होने के बावजूद सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश सही एवं न्यायोचित आदेश है जिसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है । अतः निगरानी खारिज किया जावे।

5/ उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया । प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट है कि आलोच्य भूमि के संबंध में उभयपक्ष के मध्य विवाद विभिन्न न्यायालयों में

प्रचलित रहा है। अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 पोहरी के समक्ष वादी सतीश कुमार के द्वारा वाद प्र0क्र0 11ए/2 ई0दी0 प्रस्तुत किया गया । जिसमें मानीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28.06.07 के पैरा–26 में उल्लेख किया है कि "उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वह विवादित भूमि का स्वामी व आधिपत्यधारी है। पट्टा निरस्त करने की सहायता प्रदान करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है। इस प्रकार वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है।" इस आदेश के विरूद्ध वादी के द्वारा माननीय प्रथम अपर जिला–न्यायाधीश, शिवपुरी के समक्ष प्र0क्र0 1ए/08/अ.दी. प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.05.2008 को आदेश के पैरा में यह उल्लेख किया गया है कि " विचारणीय बिन्दु क्र0 3 एवं निष्कर्ष –चूँकि विचारणीय बिन्दु क्र0 1 में की गई विवेचनानुसार यह प्रमाणित नहीं पाया गया है कि वादी वादग्रस्त भूमि का स्वामी एवं अधिपत्यधारी है। अतः वादी की यह अपील सारहीन पाई जाकर निरस्त की जाती है। वादी स्वयं के खर्च के साथ प्रतिवादी का भी खर्चा वहन करेगा । अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर रुपये 200/– निश्चित की जाती है। तदानुसार डिक्री बनायी जावे।" इस प्रकार माननीय व्यवहार न्यायालय के निष्कर्षों से यह तथ्य पूर्णतः प्रमाणित है कि वादी सतीश अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है, जिससे उसे कोई सहायता दी जाना सम्भव नहीं है। जहां तक करन सिंह के पट्टे का प्रश्न है, अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण के संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह पूर्ण रूप से प्रमाणित है कि करन सिंह जिस पट्टे को अपना आधार

बता रहा वह पट्टा पूर्णतः फर्जी है और तहसीलदार के द्वारा व्यवहार न्यायाधीश के प्र0क्र0 9ए/86 में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है कि प्र0क्र0 64/83–84/अ–19(1) दायरा में अंकित है, क्योंकि खोज करने के उपरांत प्रकरण उपलब्ध होना नहीं पाया गया है। अतएव प्रकरण की प्रविष्टि फर्जी होना प्रतीत होती है। स्पष्ट है कि आवेदक के हक में फर्जी पट्टे के आधार पर प्रविष्टि की गई है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी ने विस्तृत जांच के उपरांत प्रविष्टि फर्जी पाते हुये उसे निरस्त करके उचित निर्णय लिया है। अपर आयुक्त ग्वालियर ने भी अपने आदेश दिनांक 14.12.09 में पूर्ण विवेचना कर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2009 को स्थिर रखा है। मैं अपर आयुक्त ग्वालियर के इस निर्णय से सहमत हूँ।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.2009 यथावत रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य